न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

15/408

काली बाई पुत्री कान्हा जी जाति माली निवासी ग्रमा बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. भगवान आत्मज छीतर जाति माली निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. दौलतराम
3. कैलाश
4. हीरालाल
5. तेजमल पिसरान स्वर्गीय श्री मोटा जी जाति माली निवासीगण ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. भंवर लाल
7. बिरधी लाल
8. गोगा पिसरान स्वर्गीय श्री मन्ना जी जाति माली निवासीगण ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री पुरूषोत्तम पंचोली, श्री चन्द्रप्रकाश, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 20.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद खातेदार अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का ग्राम बडौदिया की कुल किता 22 की 14 बीघा 11 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुकाम बडौदिया में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 से व्यथित होकर वादी न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की जा चुकी थी जिसमें रेसजूडीकेटा के उपर भी तनकी कायम की गई थी । रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त कानून एवं तथ्य का मिश्रित बिन्दु जिसे बाद शहादत ही निर्णित किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय में वाद शहादत वादिनी अपीलान्ट में विचाराधीन था । अधीनस्थ न्यायालय को वादिनी अपीलान्ट की शहादत लेकर रेस्पोडेन्ट को शहादत प्रस्तुत करने का मौका देकर बाद समाअत बहस व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों की पालना करते हुए दावे का गुणावगुण के आधार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णण करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह लोक अदालत की भावना के विपरीत जाकर पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10.07.2015 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में एक वाद संख्या 33/96 विचाराधीन है जिसमें अपीलान्ट पक्षकार है । प्रकरण राजस्व मण्डल में विचाराधीन होते हुए भी अपीलान्ट ने नया वाद प्रस्तुत कर दिया जो चलने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होता है क्योंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में एक वाद विचाराधीन है जिसमें अपीलान्ट पक्षकार है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री के द्वारा निर्णित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की जा चुकी थी जिसमें रेसजूडीकेटा के उपर भी तनकी कायम की गई थी । रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त कानून एवं तथ्य का मिश्रित बिन्दु जिसे बाद शहादत ही निर्णित किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय में वाद शहादत वादिनी अपीलान्ट में विचाराधीन था । अधीनस्थ न्यायालय को वादिनी अपीलान्ट की शहादत लेकर

शहादत प्रस्तुत करने का मौका देकर बाद समाअत बहस व्यवहार प्रक्रिया संहिता के पालना करते हुए दावे का गुणावगुण के आधार निर्णय पारित किया जाना चाहिए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णण करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह लोक अदालत की भावना के विपरीत जाकर पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायलय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 16.04.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 20.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा